

22.9.21 - पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्रावली उपस्थित
 अधिवक्ता वारीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित
 वारीगण ने प्राथमिक प्रश्नों पर निवेदन किया है
 कि पक्षकारानों के बीच शरीरगत ही युवा है
 और उक्त वाद में खर्च जायदाद व स्वसमान
 में वारीगण का कोई हक अधिवक्ता नहीं है। इनके
 पक्ष में वारीगण को नगरी दे दी गई है। वारीगण
 का वाद जारी है विशेष शर्तों पर समाप्त करें।
 पर वारीगण स्वीकार किया जाकर वाद वारीगण
 जारी विशेष शर्तों पर समाप्त हुआ है। पत्रावली
 फसल शुद्ध होकर डाकिल उपर ले। निर्णय
 सुनाया गया।

सहस्रपा कलक्टर

एवं पदेन उपलब्ध अधिकारी

डेगान्त (नगौर)

सहस्रपा

सहस्रपा

शिक्षापाल सिंह

सहस्रपा

22